

राष्ट्रीय नवीन गोल

एल टी फूड्स में एसएलआईसी करेगा 455.5 करोड़ का निवेश
नयी दिल्ली। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एल टी फूड्स में सउदी एपिकल्चर एंड लाइक्टरोक इक्स्ट्रेमेंट कंपनी (एसएलआईसी) ने 455.5 करोड़ रुपये के निवेश से कुल मिलाकर 9.22 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी। इस संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल ने 142.23 रुपये प्रति शेवर की दर से 7.89 प्रतिशत अर्थात् 27408164 रुपये शेवर जारी करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही एसएलआईसी प्रवर्तक समूह से 1.33 प्रतिशत शेवर भी खरीदेगी। इस तरह से कुल मिलाकर 9.22 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस निवेश के बावजूद प्रवर्तकों के पास कंपनी में नियंत्रक 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। इस लेनदेन में एल टी फूड्स फरवरी 2020 में एसएलआईसी की सहायी कंपनी यूनाइटेड फार्मसैट इंस्ट्रमेंट कंपनी को दावत फूड्स लिपिटेड में बेचे 29.52 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और इसके बाद दावत फूड्स में उसकी शत प्रतिशत हिस्सेदारी हो जायेगी।

इमारी एप्रोटेक के नेतृत्व दल में शामिल हुए देवाब्रत मुखर्जी कोलकाता। खाद्य तेल क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी इमारी एप्रोटेक लिमिटेड (ईएल) ने देवाब्रत मुखर्जी को मुख्य विपणन और रणनीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। श्री मुखर्जी को औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन, विपणन एवं बिक्री संचालन, व्यापार रणनीति एवं नवाचार में 28 वर्ष से अधिक का अनुभव है। ईएल ने एक बयान किया कि कंपनी के साथ जुड़ने से पहले श्री मुखर्जी यूवा युग में सीएसओ के पद पर थे। इससे पहले वह स्थानीय और वैश्विक ब्रांड किंफिसर, अलट्रा, हेनेकेन और एपस्ट्रेल से जुड़े थे। श्री मुखर्जी अपने व्यापक अनुभव के साथ कंपनी के खाद्य तेल, मसाले, सोया बड़ी और ब्रेकरी की खाद्य काट दावत फूड्स लिपिटेड में बेचे 29.52 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और इसके बाद दावत फूड्स में उसकी शत प्रतिशत हिस्सेदारी हो जायेगी।



इसके साथ ही वह इमारी एप्रोटेक की भविष्य की योजनाओं को लेकर बनायी जाने वाले नवाचार रणनीतियों की अध्यक्षता करेगे। इमारी एप्रोटेक की मुख्य कार्यारारी सुधारक देसाई ने कहा, हम कंपनी में देवाब्रत (देबू) का स्वागत करते हैं। उनका समझ उद्योग, अनुभव, ज्ञान और ऊर्जा से कंपनी की ब्रांड निर्माण फहों को प्रोत्साहन मिलेगा। नेतृत्व टीम में उनके शामिल होने से हमें नए रास्ते तालाशें में मदद मिलेगी।

शेयर बाजार में शानदार तेजी: 950 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी भी हुआ 18300 के पार

दिल्ली। भारतीय शेवर बाजार में जोरदार खरीदारी के चलते आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में शानदार तेजी है। आज सेंसेक्स की रिकॉर्ड 950 अंक मजबूत हुआ है। जबकि निफ्टी 18300 अंकों के स्तर के पार निकल गया है। आज के कारोबार के दौरान फिलहाल सेंसेक्स में 966 अंकों की निफ्टी है और यह 61,580 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जबकि निफ्टी 284 अंक बढ़कर 18312 अंकों के लेवल पर देंद्र कर रहा है। आज सेंसेक्स 30 के सभी 30 शेयर हरे निशान पर नजर आ रहे हैं। आज के कारोबार में आईटी शेयरों में रेली है। निफ्टी पर आईटी इंडेक्स 3 प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुए हैं। वहीं मेटल और फार्मा इंडेक्स में 1 प्रतिशत की तेजी है। आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, पथ प्रनाल, डालटनगंज (E-mail: ercdmedini-jhr@nic.in)

प्रत्रांक :-

शुद्धि-पत्र

एतद द्वारा सूचित करना है कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक-09-11.2022 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ई-निविदा प्रत्रांक सं-RCD/DALTONGANJ/03/2022-23 (2nd Call) आभासित की गई है जिसका PR No. 281762 Road(22-23):D है, जिसमें क्रमांक-9 में अंकित Date and Time of Bid Opening 24.12.2022 15.30 P.M. के स्थान पर 24.11.2022 15.30 P.M. के स्थान पर निविदा की अन्य शर्त यथावत रहेगी।

कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रनाल, डालटनगंज PR 282069 Road (22-23)_D पथ प्रमाणल, डालटनगंज

झारखण्ड सरकार जिला झन्जन कार्यालय, लातेहार (झन्जन शास्त्रा) e-mail- dmo-latehar@jharkhandmail.gov.in -::: आम सूचना ::-

एतद द्वारा सर्वाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशनुसार, लातेहार जिला के बारियातु अंचल अन्तर्गत भौजा—मनातु, थाना—बालूमाथ के खाता संख्या-204, प्लॉट संख्या-784, रकबा—लगभग 1.50 एक, खाता सं-205, प्लॉट सं-808, रकबा—0.20 एक तथा मोजा—बनवार, थाना—बालूमाथ के खाता सं-75, प्लॉट सं-458 एक 459, रकबा—लगभग 1.50 एकड़ ब्लॉक पर भाजारित लगभग 9082.56 M² (नब्बे हजार आठ सौ दो दशमलाख छप्पन) घन मी० पथर खनिज (बोल्डर) एवं लगभग 22700.64 घन मी० साधारण मिट्टी का आम झारखण्ड लघु खनिज निमायावली, 2019 के नियम-54 A के तहत उक्त भाजारित लघु खनिज पथर एवं साधारण मिट्टी का आम नीलामी दिनांक 24.11.2022 को समय 3:00 बजे अपराह्न ८ में अपर समाहर्ता, लातेहार की अध्यक्षता में समाहरालय स्थित समागम कक्ष में सम्पन्न की जायेगी। डाक में भाग लेने वाले अधिकार्यों को भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा Covid-19 के तहत निर्गत SOP का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त स्थल पर भण्डारित लघु खनिज पथर (बोल्डर) एवं साधारण मिट्टी भण्डारण का विवरण, नीलामी की प्रक्रिया एवं शर्तों आदि के जानकारी के लिए लातेहार जिला के Website: latehar.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा जिला खनन कार्यालय, लातेहार में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार।

PR.NO.28209 Mines and Geology(22-23):D

प्रपत्र VII समाहर्ता या समुचित सरकार उपायुक्त का कार्यालय, चतरा (भू-अर्जन शास्त्रा)

अधिघोषणा (अधिनियम-30 / 2013 की धारा-19(1) के अधीन) ज्ञापांक :-549 / मु030 दिनांक :-09.11.2022

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना पतरात्—हेन्नेरी—मैकल्स्कीर्जींग पथ हेतु ग्राम—बचरा, थाना—पिपरावार, थाना सं-0—85, अंचल—टण्डवा, जिला—चतरा में 5.6775 एकड़ यात्रा 2.2976 है भूमि अपेक्षित है इसलिए अधिकारी प्रवर्तक समूह से 1.33 प्रतिशत शेवर भी खरीदेगी। इस तरह से कुल मिलाकर 9.22 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस निवेश के बावजूद प्रवर्तकों के पास कंपनी में नियंत्रक 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी। इस लेनदेन में एल टी फूड्स फरवरी 2020 में एसएलआईसी की सहायी कंपनी यूनाइटेड फार्मसैट इंस्ट्रमेंट कंपनी को दावत फूड्स लिपिटेड में बेचे 29.52 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और इसके बाद दावत फूड्स में उसकी शत प्रतिशत हिस्सेदारी हो जायेगी।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना पतरात्—हेन्नेरी—मैकल्स्कीर्जींग पथ हेतु ग्राम—बचरा, थाना—पिपरावार, थाना सं-0—85, अंचल—टण्डवा, जिला—चतरा, थाना—पिपरावार, थाना सं-0—85, अंचल—टण्डवा, जिला—चतरा में है, यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि उपायुक्त परियोजना को लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मालांग को माप से कोमोडो 2.2976 एकड़ का आम नाम है।

चूकि झारखण्ड सरकार/ समाहर्ता को यह प्रतीत हो

सम्पादक की कलम से...

ईडी व सीएन हेमंत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में ये सवाल हम रहा है कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी हालिया ईडी की कार्रवाई रुक जायेगी। क्या हमें सोरेन की मुश्किलें खल्स हो गई हैं? मुख्यमंत्री हमें सोरेन को पिछले दिनों सुनीम राहत मिली है? दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने शिवशकर रामां द्वारा अवैध खनन पट्टा लिया और शेल नामाले की सीबीआई और ईडी जांच की मांग से संबंधित दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की याचिका राजनीति से प्रेरित लगती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में ये सवाल घम रहा है कि क्या मुख्यमंत्री की खिलाफ जारी हालिया ईडी की कार्रवाई रुक जायेगी। क्या हमें सोरेन की मुश्किलें खल्स हो गई हैं? दरअसल, इससे पहले झारखण्ड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के फैसले को भी निरस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब झारखण्ड हाईकोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए सीएन से जावा देने को कहा था। अब सवाल आ रहा है कि क्या सीएम के खिलाफ हालिया ईडी की जांच थम जायेगी। बता दें कि ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अवैध खनन और मनी लाउंडिंग की ईडी जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल, कोर्ट ने ईडी की हालिया जांच अथवा कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने केवल पीआईएल को सुनवाई योग्य नहीं माना है। दरअसल, पीआईएल ने खनन पट्टा लिया और शेल कंपनी को गई थी। कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। वहीं, अवैध खनन और मनी लाउंडिंग के सार्वजनिक विधायक की निरन्तरिति मिश्रा, प्रेम प्रकाश उपर्युक्त पक्षों तथा बच्चे यादव की निरपत्रियों से जुड़ा है। इसमें ईडी को कई ऐसी सीएम से जुड़ी हैं और संदिध हैं। उस मामले में ईडी ने सीएम हमें सोरेन को समन किया है। यहां यह जाननी भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अदालत ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। जो आरोप हैं, उसमें साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अर्जी सुनवाई को स्वीकार नहीं की जा सकती। सीएम को खनन लीज और शेल कंपनी को गई थी। कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। वहीं, अवैध खनन और मनी लाउंडिंग के सार्वजनिक विधायक की निरन्तरिति मिश्रा, प्रेम प्रकाश उपर्युक्त पक्षों तथा बच्चे यादव की निरपत्रियों से जुड़ा है। इसमें ईडी को कई ऐसी सीएम के कर्तव्यविधायों के निवेश की सीबीआई और ईडी जांच के लिए शिवशकर रामां ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने इन्हें सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई शुरू की थी। ईडी के बाद सरकार और सीएम ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी। दूसरा मामला जिसमें ईडी की जांच चल रही है वो साहिंगंज सहित सताल परगना के कुछ जिलों और राज्य के अन्य हस्तों में अवैध खनन और मनी लाउंडिंग से जुड़ा है। ईडी ने अपने अवैध खनन को अवैध खनन में कहा है कि आरज्य में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अवैध खनन हुआ है। यही कारण है कि फिर ईडी ने मुख्यमंत्री को समन किया है। उन्हें 3 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री व्यस्तता का हावाला देकर हाजिर नहीं हुए और पत्र लिखकर ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा। अब देखना है आने वाले दिनों में ईडी का रवैया सीएम के प्रति कैसा रहता है?

आज का इतिहास

1992 : बुल्यारिया ने बालकन के देश मैसिडोनिया को मान्यता दी।

2013 : सीरिया की अलेपो यूनिवर्सिटी में रकिट हमले में 83 लोगों की मौत तथा 150 लोग घायब।

2016 : पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आगांडोगे के होटल में आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत तथा 56 घायब।

1848 : कालां मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने कम्युनिस्ट धोषणापत्र प्रकाशित किया।

1878 : अमेरिका के कोनेक्टिकट में पहली टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की गयी।

2013 : सीरिया के इलिलिम में बम धमाकों में 24 लोगों की मौत।

1759 : लदन स्थित मॉटिवेशन हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई।

1784 : प्रशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगल की स्थापना।

1934 : बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20 हजार लोगों की मौत।

1949 : के एम करियपा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन-चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1965 : भारतीय खाद्य निगम की स्थापना।

1975 : पुर्णागां ने अंगोला की आजादी के लिए समर्पित पर हस्ताक्षर किये।

1986 : थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियपा (सेवानिवृत) को फॉल मार्टारों की पटवी दी गई।

1988 : भारत के पूर्व गेंदबाज नंदेश हिंदूराज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए।

1896 : महान कवि एवं लेखक सूर्यकान्त त्रिपाठी निशाला का जन्म।

1948 : स्वतंत्र भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया।

1952 : पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बंगलादेश) स्थित दाका कियरियलाय में बंगली भाषा को अधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन किया गया।

1992 : बुल्यारिया ने फूटपाथ की पाती की पाती।

2013 : सीरिया की अलेपो यूनिवर्सिटी में रकिट हमले में 83 लोगों की मौत तथा 150 लोग घायब।

2016 : पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आगांडोगे के होटल में आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत तथा 56 घायब।

1848 : कालां मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने कम्युनिस्ट धोषणापत्र प्रकाशित किया।

1878 : अमेरिका के कोनेक्टिकट में पहली टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की गयी।

2013 : सीरिया के इलिलिम में बम धमाकों में 24 लोगों की मौत।

1759 : लदन स्थित मॉटिवेशन हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई।

1784 : प्रशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगल की स्थापना।

1934 : बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20 हजार लोगों की मौत।

1949 : के एम करियपा भारतीय थल सेना के रूप में मनाया जाता है। अब जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1965 : भारतीय खाद्य निगम की स्थापना।

1975 : पुर्णागां ने अंगोला की आजादी के लिए समर्पित पर हस्ताक्षर किये।

1986 : थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियपा (सेवानिवृत) को फॉल मार्टारों की पटवी दी गई।

1988 : भारत के पूर्व गेंदबाज नंदेश हिंदूराज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए।

1896 : महान कवि एवं लेखक सूर्यकान्त त्रिपाठी निशाला का जन्म।

1948 : स्वतंत्र भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया।

1952 : पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बंगलादेश) स्थित दाका कियरियलाय में बंगली भाषा को अधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन किया गया।

1992 : बुल्यारिया ने फूटपाथ की पाती की पाती।

2013 : सीरिया की अलेपो यूनिवर्सिटी में रकिट हमले में 83 लोगों की मौत तथा 150 लोग घायब।

2016 : पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में आगांडोगे के होटल में आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत तथा 56 घायब।

1848 : कालां मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने कम्युनिस्ट धोषणापत्र प्रकाशित किया।

1878 : अमेरिका के कोनेक्टिकट में पहली टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की गयी।

2013 : सीरिया के इलिलिम में बम धमाकों में 24 लोगों की मौत।

1759 : लदन स्थित मॉटिवेशन हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई।

1784 : प्रशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगल की स्थापना।

1934 : बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20 हजार लोगों की मौत।

1949 : के एम करियपा भारतीय थल सेना के रूप में मनाया जाता है। अब जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1965 : भारतीय खाद्य निगम की स्थापना।

1975 : पुर्णागां ने अंगोला की आजादी के लिए समर्पित पर हस्ताक्षर किये।

1986 : थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के एम करियपा (सेवानिवृत) को फॉल मार्टारों की पटवी दी गई।

स्थानीय नीति नियोजन व आरक्षण नीति का ध्वनिमत से सदन से पारित होना ऐतिहासिक : नायक



उनके हक और अधिकार को देने का काम किया इसके लिए ज्ञारखंड सुचना अधिकार मंच एवं समस्त ज्ञारखंड के दलित आदिवासी मूलवासी समाज समाज के लिए ऐतिहासिक दिन देता है। श्री नायक में आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार सदन से पारित होना आवश्यक उनके इस काम के लिए बहाई समाज के लिए एतिहासिक दिन होता है। श्री नायक में आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार सदन से पारित होना आवश्यक जो ज्ञारखंड के जनता की मूल आमा से जुड़ी हुई है उनके भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है उन दोनों विधेयकों को अविलब केंद्र की सरकार कन्नू बनाकर जननाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने पारित होने का काम करें। अगर भारतीय सरकार में दोनों विधेयकों का ध्वनिमत से पारित होने पर आज अपनी बांटकर जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार अपराध को अविलब केंद्र की सरकार अपराध को अविलब कर देते हुए कहा कि 1932 खतियान आधारित करती है तो आगे बाले लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में ज्ञारखंड से उनका सुपारा सफार करने और अधिकार को डबकार रखा था उनके हेमंत सोरेन की सरकार ने उनको हेमंत सोरेन की सरकार ने

रांची | ज्ञारखंड में 1932 का खतियान ही स्थानीयता का आशार होता है। महागठबंधन की सरकार ने शुक्रवार 11 नवम्बर, 2022 को इस बिल को विधानसभा से पारित करा दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है उनके भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है उन दोनों विधेयकों को अविलब केंद्र की सरकार कन्नू बनाकर जननाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इसके साथ ही हमने सरकार में हरक ओवरीसी आरक्षण के लिए जो संर्पण और आंदोलन किया था उसका परिणाम भी आज

कांग्रेस जनों ने पटाखे फोड़कर व मिठाईयां बांटकर मनाया जश्न

ओबीएसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित

नवीन मेल संवाददाता

स्थानीय नीति नियोजन व आरक्षण नीति का ध्वनिमत से सदन से पारित होना ऐतिहासिक : नायक



आया कि ज्ञारखंड के ओबीएसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव भी आम सदन में पारित कर दिया गया। वह सीधे सीधे जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला था जिसका पिछले 22 वर्षों से ज्ञारखंड वासियों को इंतजर था यह एक बहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है। हमारी सरकार के इस निर्णय से राज्य के युवाओं को राजगार के क्षेत्र में वार्ष मिलेगा। 1932 आधारित खतियान पर अधारित स्थानीयता नीति कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने पर ज्ञारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता

ज्ञारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञारखण्ड आन्दोलनकारी विनिहारीकरण आयोग

40 वीं औपचारिक सूची जिला-लोहरदगा					
क्र०	आवेदनकर्ता की विवरणी	काण्ड/वाद संख्या	ज्ञारखण्ड आन्दोलन के संनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आन्दोलनकारी होने का संकेत कारण	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20-04-2021 के आलोक में प्रदत्त कंडिका
1	1. आवेदन क्रमांक :- 351 2. आवेदक का नाम :- भृत्य कुमार उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० नव्यां उर्मी उर्मी 4. ग्राम :- हुड़ 5. पास्ट-लोहरदगा 6. प्रखण्ड- कौरी 7. थाना :- लोहरदगा 8. लिंग :- पुरुष 9. पहचान चिह्न- देखि- रेत में घाव का चिह्न- 10. आयु :- 48 वर्ष	लोहरदगा धाना काण्ड सं-124/- 87 जीवांगो 323/- 87	नहीं	कारण- 19-11-1987 को ज्ञारखण्ड बंद के अवसर पर नियमित उल्लंघन करने का आरोप वारा-188 मानवरूपी पार्टी का नाम-अज्ञू जेल की ओरां- 04 दिन	कंडिका-02 (viii)(a)
2	1. आवेदन क्रमांक :- 136 2. आवेदक का नाम :- राजु उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० नव्यां उर्मी उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 190/- 92 जीवांगो 090-1992	लोहरदगा धाना काण्ड सं- 190/- 92	नहीं	कारण- 11-1992 को ज्ञारखण्ड बंद की तिथि को प्रतिवर्षीय रूप से अवसर पर नियमित उल्लंघन करने का आरोप वारा-399, 402, 307, 332 मानवरूपी पार्टी का नाम-अज्ञू जेल की ओरां- 14 दिन	कंडिका-02 (viii)(a)
3	1. आवेदन क्रमांक :- 549 2. आवेदक का नाम :- राजु गुप्ता 3. पिता का नाम :- जौरंग लालू 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं-175/- 188 जीवांगो 09-06-1989	किसको धाना दैनिक सं-102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	नहीं	कारण- 09-06-1989 को ज्ञारखण्ड बंद के अवसर पर नियमित व्यायाम भग्न करने का आरोप वारा-3/4 जीवांगो 09-06-1989	2(ix)
4	1. आवेदन क्रमांक :- 397 2. आवेदक का नाम :- सात्य कुमार अहमद 3. पिता का नाम :- स्व० सेयर अहमद 4. ग्राम :- पास्ट-लोहरदगा 5. पास्ट-लोहरदगा 6. प्रखण्ड-लोहरदगा 7. थाना :- लोहरदगा 8. लिंग :- पुरुष 9. पहचान चिह्न- देखि- रेत में गोली का जख का निशान 10. आयु :- 55 वर्ष	लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 107 दालतनांज	नहीं	कारण- 24-11-1992 को ज्ञारखण्ड बंद के अवसर पर नियमित व्यायाम भग्न करने का आरोप वारा-544/- 92	2(ix)
5	1. आवेदन क्रमांक :- 398 2. आवेदक का नाम :- सात्य कुमार अहमद 3. पिता का नाम :- स्व० सेयर अहमद 4. ग्राम :- पास्ट-लोहरदगा 5. पास्ट-लोहरदगा 6. प्रखण्ड-लोहरदगा 7. थाना :- लोहरदगा 8. लिंग :- पुरुष 9. पहचान चिह्न- देखि- अंकित नहीं। 10. आयु :- 55 वर्ष	लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 107 दालतनांज	नहीं	कारण- 24-11-1992 को ज्ञारखण्ड बंद के अवसर पर नियमित व्यायाम भग्न करने का आरोप वारा-544/- 92	2(ix)
6	1. आवेदन क्रमांक :- 348 2. आवेदक का नाम :- सात्य कुमार अहमद 3. पिता का नाम :- स्व० सेयर अहमद 4. ग्राम :- पास्ट-लोहरदगा 5. पास्ट-लोहरदगा 6. प्रखण्ड-लोहरदगा 7. थाना :- लोहरदगा 8. लिंग :- पुरुष 9. पहचान चिह्न- देखि- अंकित नहीं। 10. आयु :- 55 वर्ष	लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 107 दालतनांज	नहीं	कारण- 24-11-1992 को ज्ञारखण्ड बंद के अवसर पर नियमित व्यायाम भग्न करने का आरोप वारा-544/- 92	2(ix)
7	1. आवेदन क्रमांक :- 733 (1) 2. आवेदक का नाम :- रायझी उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० डल्लू उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	सेनहा धाना जीवांगो 46 / 89 अनु०८३०१० लोहरदगा धाना सं- 251 / 89	नहीं	कारण- 09-06-1989 को ज्ञारखण्ड बंद के अवसर पर नियमित व्यायाम भग्न करने का आरोप वारा-107 दालतनांज	2(ix)
8	1. आवेदन क्रमांक :- 733 (2) 2. आवेदक का नाम :- रायझी उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० डल्लू उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	सेनहा धाना जीवांगो 46 / 89 अनु०८३०१० लोहरदगा धाना सं- 251 / 89	नहीं	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	2(ix)
9	1. आवेदन क्रमांक :- 733 (3) 2. आवेदक का नाम :- रायझी उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० डल्लू उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	नहीं	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	2(ix)
10	1. आवेदन क्रमांक :- 733 (4) 2. आवेदक का नाम :- रायझी उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० डल्लू उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	नहीं	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	2(ix)
11	1. आवेदन क्रमांक :- 733 (5) 2. आवेदक का नाम :- रायझी उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० डल्लू उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	नहीं	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	2(ix)
12	1. आवेदन क्रमांक :- 733 (6) 2. आवेदक का नाम :- रायझी उर्मी 3. पिता का नाम :- स्व० डल्लू उर्मी 4. ग्राम :- लोहरदगा धाना काण्ड सं- 102/- 92 जीवांगो 09-06-1989	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आरोप वारा-53 वर्ष	नहीं	कारण- ज्ञारखण्ड आन्दोलन से संबंधित अखबार करने का आ	

